ASSISTANT DIRECTOR/FCRA)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1136—1153

Dated 11-12-2010

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 226.—राष्ट्रपति, सॅविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय (सहायक निदेशक) भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय (सहायक निदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. गृह मंत्रालय (सहायक निदेशक) भर्ती नियम, 1985 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

				अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बेंड औ ग्रेड वेतन/ वेतनमान	र चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (विदेशी अभिदाय विनियम अधिनियम)	6*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन ला बैंड-3, 15600- 39100 रु. तथा 5400 रु. ग्रेड पे	गू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए र शैक्षिक और अन		स्तयों के लिए अप	क्षित .	विहित आयु	कए जाने वाले व्यक्तियों के लिए और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत ो दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)					(9)	(10)
लागू नहीं होता			ला	गू नहीं होता	लागू नहीं होता	
3250 HA/11				(1)		

प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता (11)(12)सरकार /राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 2 में, 9300-34,800 रु. तथा ग्रेड पे, 4600 रु. या समतुल्य वेतन बेंड और ग्रेड वेतन वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास आर्थिक अपराधों/कंपनी लेखाओं/वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के अन्वेषण/राज वित्तीय अधिनियमों से संबंधित कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की ओतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) यदि विभागीय प्रोनिति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (13)(14)

[फा. सं. ए/12018/01/2010-प्रशा.-V] प्र

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2010

G.S.R. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs (Assistant Director) Recruitment Rules, 1985, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Assistant Director) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

लागू नहीं होता

2. In the Ministry of Home Affairs (Assistant Director) Recruitment Rules, 1985, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

			S	CHEDULE				
Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or non Selection post		mit for recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		.(7)	
Assistant Director (Foreign Contribution Regulatory Act)	6* (2010) *Subject to variation dependent on work- load.		PB-3, Rs. 15,600— 39,100 with the Grade Pay of Rs. 5400	Not applicable	Not appli	icable	Not applicable	
Educational a required for d		lifications		Whether ag Qualification direct recru case of pro-	ons pres its will:	educational scribed for apply in the	Period of probation, if any	
	(8)			***************************************	(9)		(10)	
Not ap	plicable			Not ap	plicabl	le	Not applicable	
promotion or	by deputation be filled by	Whether by direction a various method	nd percentage	absor	ption,	grades from to be made	t by promotion/deputation/ which Promotion/Deputation/	
	(11)				(12)			
By Deputation				Deput	tation:-	_		
							ate Government: ogous posts on regular basis; or	
					(ii)		years regular service in posts in 3,00-34,800 with the Grade Pay	

- of Rs. 4600 or equivalent; and
- (b) possessing three years experience in investigation of economic offences/company accounts/commercial audit/dealing with fiscal Acts.

(The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/ organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
(13)	(14)			
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Consultation is necessary.			

[F. No.A/12018/01/2010-Ad.-V] ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 227.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- इन नियमों का नाम लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती (संशोधन) नियम 2010 है ।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती नियम, 1984 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :

				अनुसूची		•
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन-सह- ज्येष्ठता, योग्यता द्वारा चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखाकार (विदेशी अभिदाय विनियम अधिनियम)	6* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'खः अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन लागू न बेंड-2, 9300- 34800 रु. तथा 4200 रु. ग्रेड पे	हीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए ज शैक्षिक और अन्य	गाने वाले व्यवि । अर्हताएं	तयों के लिए आ		विहित आयु ३	ए जाने वाले व्यक्तियों के लिए भौर शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
लागू नहीं होता				(9	9)	(10)
				लागू र	लागू नहीं होता	